

## FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

अल्लादिता

बनाम

अजीम खां वगै.

किस्म मुकदमा :-प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवे तन अधिनियम 1955 मु.नं. एवं सन  
51 / 19 व 2019 / 00079

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
14.11.19	<p>पत्रावली पेश हुयी प्रार्था व अप्रार्थागन उपस्थित अधिवक्ता प्रार्था व अधिवक्ता अप्रार्थागन ने प्राथना पत्र के समथन म इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया तथा सभी ने खुले न्यायालय म प्राथना पत्र के समथन म चक ११ केवाईडी बी के मु no १५६/१५ के किला no १,१०,११ म व मु no १५६/१४ के किला no १,१०,११,२०,२१ प्रत्येक म उतर से दक्षिण नजरो नक्शा अनुसार २-२ बिस्वा रास्ता प्रार्था को अपनी खातेदार भूमि आने जाने हेतु देने म सहमति प्रदान का अतः राजीनामा का रुह से तथा लोक अदालत का भावना से खुले न्यायालय म उपस्थित समस्त पक्षकारान का उपस्थित म प्राथना पत्र के समथन म सभी अप्रार्थागन द्वारा सहमति देने के कारण उपयुक्त प्राथना पत्र स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है इसलिए प्राथना पत्र स्वीकार कर प्राथना पत्र म वर्णित व नजरो नक्सा म दशाए अनुसार उक्त चक ११ केवाईडी बी के मु no १५६/१५ के किला no १,१०,११,२०,२१ प्रत्येक म २-२ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड म अंकन हेतु नियमनुसार कायवाही करने हेतु तहसीलदार खाजूवाला को अलग से आदेश जारी हो पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो</p>	